शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 09/10/2026

संचिका संख्या–07/मु०–01–234/2026–2895/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–12808/2026 संतोष कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.08.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अँश निम्नवत हैः–

"***...The respondent no. 3, (the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna) directed to dispose of the representation of the petitioner dated 01.07.2026 as contained in Annexure- P/20 of the writ application by passing a reasoned and speaking order after giving an opportunity of hearing to the petitioner and thereafter bring the reasoned order on record by filing the counter affidavit within four weeks from today after serving the copy of the same to the learned counsel for the petitioner enabling him to file a rejoinder to the counter affidavit if any, within two weeks, thereafter....***"

3. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–2621 दिनांक–09.09.2026 द्वारा दिनांक–15.09.2026 को सुनवाई निर्धारित किया गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं याचिका के अनुलग्नक– *P/20* से स्पष्ट होता है कि मामला प्रोन्नति से संबंधित है। वादी श्री राय का कहना है कि उनकी नियुक्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) संशोधन नियमावली, 2006 के अंतर्गत वर्ग–1 से 8 के शिक्षक के रूप में की गई तथा दिनांक–19.02.2011 से योगदान देकर कार्यरत है।

5. अंकनीय है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2012 के नियम–4 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों को तीन ग्रेड में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड है। वादी का दावा है कि नियमावली, 2012 के नियम–5 के तहत् उनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता स्नातक ग्रेड की रहने तथा स्नातक ग्रेड के शिक्षक का कार्य यथा वर्ग 6–8 के बच्चों को पढ़ाने के बावजूद उन्हें बेसिक ग्रेड के पद पर सामंजित माना गया है। वादी का दावा है कि उन्हें नियुक्ति तिथि से 8 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत दिनांक–20.02.2019 के प्रभाव से स्नातक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने एवं तदनुसार वेतन निर्धारण निर्धारण करते हुए अन्तर वेतन की राशि का भुगतान उचित बैंक ब्याज दर पर करने किया जाय। उक्त हेतु वादी श्री राय द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार, रोहतास में वाद एवं अपील वाद दायर किया गया, जिसके विरूद्ध जिला कार्यालय द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर किया गया है।

6. वादी श्री राय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में यह भी अंकित किया गया है कि CWJC No.–17709/2021 (राजेश कुमार पाण्डेय) में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए वर्ष–2006–2012 के मध्य नियोजित/नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका नियोजन मध्य विद्यालय में हुआ था, उन सभी शिक्षकों को नियमावली, 2012 के अधिसूचना तिथि–03.04.

2012 से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का सभी संबंधित लाभ दिये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

7. अंकनीय है कि CWJC No.–17709/2021 (राजेश कुमार पाण्डेय) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–22.07.2025 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.–859/2025 दायर किया गया है। साथ ही समरूप एक और अन्य वाद CWJC No.–17709/2021 (संजय कुमार) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–6391 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.–241/2025 दायर किया गया है।

8. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को LPA No.–241/2025 तथा LPA No.–859/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से अच्छादित माना जाएगा।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत मामले को निस्तारित किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु०–01–234/2026.....2895..... पटना, दिनांक 09/10/2026

प्रतिलिपिः– **Santosh Kumar Rai S/o Srikant Rai, R/o Village and P.O.- Karahansi, P.S. -Buxar (Moffasil), District - Buxar, at present posted as Exclusive Teacher Government Middle School Saisad, Block- Dinara, District - Rohtas at Sasaram.**

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु०–01–234/2026.....2895..... पटना, दिनांक 09/10/2026

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु०–01–234/2026.....2895..... पटना, दिनांक 09/10/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।